

प्रो.क.

संजीव कुमार,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

शासकीय समापक,
मा० उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

संख्या / 80-2007-2007/07

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007

विषय—जनपद सोनभद्र के ग्राम हरदी, कोटा कजाराहट में स्थित लाइम स्टोन खनन पट्टे के उ०प्र० राज्य सीमेंट निगम लि० (परिरामापनाधीन) के पक्ष में नवीनीकरण एवं केता श्रीमंत जय प्रकाश एसोसिएट्स लि० के पक्ष में हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 1280/एम 12 सी 140/95 दिनांक 22.11.2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी सोनभद्र के पत्रांक 662/खनिज/2007-08, दिनांक 23.7.2007 के माध्यम से प्राप्त वन, राजस्व, खनिज विभाग की संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट (सीमांकन से सम्बन्धित मैप की प्रति संलग्न है) के आधार पर जनपद सोनभद्र के तहसील रावर्टसगंज स्थित ग्राम कोटा एवं पडरघ में उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम लि० के पक्ष में पूर्व में स्वीकृत लाइम स्टोन खनन पट्टे क्षेत्रफल 751 हे० में से भारतीय वन अधिनियम 1927 के धारा-4 से आच्छादित भूमि 380.635 हे० को छोड़कर शेष भूमि 370.365 हे० भूमि को दिनांक 1.5.1996 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिये उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट कार्पोरेशन लि० के पक्ष में इस प्रतिबन्ध के साथ नवीनीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है कि उक्त नवीनीकृत खनन पट्टे को शासकीय समापक मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से श्रीमन्त जयप्रकाश एसोसिएट्स के पक्ष में हस्तान्तरित किया जायेगा।

2— उक्त आदेश निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जारी किये जा रहे हैं :-

(1) पट्टा हस्तान्तरण विलेख निष्पादित होने के उपरान्त श्रीमन्त जय प्रकाश एसोसिएट्स लि० द्वारा खान अधिनियम के तहत डायरेक्टर माइन्स सेफ्टी द्वारा निर्धारित सुरक्षा जोन एवं वन भूमि से सटे पट्टे की क्षेत्र में नियमानुसार बफर जोन को छोड़ते हुए खनन कार्य किया जायेगा ।

(2) उपर्युक्त जोन को निर्धारित करने हेतु वन विभाग के साथ संयुक्त मापी कर सीमांकन किया जायेगा तथा सीमांकित क्षेत्र में पिलर लगाते हुए इसकी फेंसिंग किया जाना अनिवार्य होगा।

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

(3) वन भूमि से आच्छादित 380.635 हे० क्षेत्र के पट्टे का नवीनीकरण/हस्तान्तरण पर श्रीमन्त जय प्रकाश एसोसिएट्स लि० द्वारा भारत सरकार से उक्त वन भूमि के हस्तान्तरण प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरान्त विचार किया जायेगा।

2- उपर्युक्त आदेश माननीय मंत्रिपरिषद के निर्णय दिनांक 10.10.2006 एवं यू०पी०सी०सी०एल० (इन लिक्विडेशन) से सम्बन्धित मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन मिस अप्लीकेशन नम्बर-4/1997 में मा० कम्पनी जज के निर्णय दिनांक 12.10.2007 के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-²⁷⁻⁰⁴(1)/86-2007-404/06, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० लखनऊ।
- (2) कार्यकारी अध्यक्ष, श्रीमन्त जय प्रकाश एसोसिएट्स लि०, सीमेन्ट डिवीजन, डाला, सोनभद्र।
- (3) जिलाधिकारी, सोनभद्र।
- (4) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे०पी०एन० द्विवेदी)
अनु सचिव।

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अधिशायी अध्यक्ष,
मे० जय प्रकाश एशोसिएट्स लि०,
डाला सीमेन्ट फैक्टरी,
डाला, सोनभद्र, उ०प्र०।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ दिनांक: 20 जून, 2017

विषय:-जनपद सोनभद्र में मे० जय प्रकाश एशोसिएट्स लि० के पक्ष में स्वीकृत लाईम स्टोन मार्बल के 04 खनन पट्टों का मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० के पक्ष में हस्तान्तरण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी सोनभद्र को दिनांक 30.03.2017 को निम्नलिखित 04 खनन पट्टों को मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० के पक्ष में हस्तान्तरित करने हेतु दिये गये आवेदन पत्र दिनांक 29.03.2017 के कम में अपने पत्र संख्या-जेएएल/डीसीएफ/डाला/2017, दिनांक 03.05.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें :-

क्र० सं०	खनन पट्टों के नाम	क्षेत्रफल			खनन पट्टों की अवधि/धारा-8ए(5) के अन्तर्गत विस्तारित अवधि	निष्पादन की तिथि
		कुल क्षेत्रफल (हे० में)	स्वीकृत क्षेत्रफल (हे० में)	अवशेष क्षेत्रफल (हे० में)		
1	2	3	4	5	6	7
1	भलुआ लाइम स्टोन माइन्स	643.433	592.827	50.606	09.11.2002 से 08.11.2022 तक 09.11.2022 से 31.03.2030 तक	18.03.2008
2	जुलगुल लाइम स्टोन माइन्स	384.000	350.383	33.617	14.12.2001 से 13.12.2021 तक 14.12.2021 से 31.03.2030 तक	30.01.2008
3	डाला(कजरहट) लाइम स्टोन माइन्स	751.000	370.365	380.635	01.05.1996 से 30.04.2016 तक 01.05.2016 से 31.03.2030 तक	23.07.2008
4	निंघा मार्बल माइन्स	87.000	16.672	70.328	25.08.2008 से 24.08. 2018 तक	05.02.2010
कुल योग -		1865.433	1330.247	535.186		

2. उक्त खनन पट्टों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी सोनभद्र के पत्र संख्या-319/खनिज/जे०पी०/2017-18, दिनांक 30.05.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि डाला (कजरहट) लाइम स्टोन माइन्स एवं निंघा मार्बल माइन्स के खनन पट्टे के विरुद्ध कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। 04 खनन पट्टों के सापेक्ष नियमानुसार देय रायल्टी/डेडरेन्ट का दिनांक 31.03.2017 तक कोई बकाया नहीं है।

3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० द्वारा "The Mineral (Transfer of Mining Lease Granted Otherwise than through Auction for Captive Use) Rules, 2016" के नियम-5(3) के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जारी बुलेटिन के आधार पर उक्त तालिका में क्रमांक-1.2.3 पर उल्लिखित लाईम स्टोन माइन्स के सम्बन्ध में वर्ष 2016-17 में लाइम स्टोन माइन्स के

2

Cement Limited
Cement Works

औसत विक्रय मूल्य रू0 471.25 प्रति टन के आधार पर अवशेष खनिज भण्डार के अनुमानित खनिज मूल्य का आंकलन करते हुये उसके 0.5 प्रतिशत के समतुल्य अग्रिम संदाय (Upfront payment) का विवरण उपलब्ध कराया गया है। उक्त तालिका में क्रमांक-4 पर अंकित खनन पट्टे के सम्बन्ध में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-21(2) के अनुसार, मार्बल की रायल्टी दर 206.00 प्रतिटन के आधार पर उपलब्ध अवशेष उपखनिज भण्डार के अनुमानित मूल्य, जो अनुमन्य रायल्टी का पाँच गुना होता है, के 0.5 प्रतिशत के समतुल्य अग्रिम संदाय का भी विवरण उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार उक्त चारों खनन पट्टों पर अवशेष खनिज भण्डार के अनुमानित खनिज मूल्य के 0.5 प्रतिशत के अनुसार अग्रिम संदाय का विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	खनन पट्टों के नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल (हे० में)	दिनांक 01.04.2017 को अवशेष		स्तम्भ-5 की धनराशि का 0.5 प्रतिशत (रूपया करोड में)
			भण्डार (मिलियन टन में)	अनुमानित मूल्य (रूपया करोड में)	
1	2	3	4	5	6
1	भलुआ लाइम स्टोन माइन्स	592.827	39.97	1883.60	9.418
2	जुलगुल लाइम स्टोन माइन्स	350.383	93.36	4399.60	21.998
3	डाला(कजरहट) लाइम स्टोन माइन्स	370.365	111.1	5235.60 (खनन कार्य नहीं हुआ)	26.178
4	निघा मार्बल माइन्स	16.672	7.67	790.01 (खनन कार्य नहीं हुआ)	3.95
कुल योग -		1330.247		12308.81	61.544

4. वर्णित स्थिति में उक्त चारों खनन पट्टों के हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों पर "The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015", "The Mineral (Transfer of Mining Lease Granted Otherwise than through Auction for Captive Use) Rules, 2016" के नियम-4, 5 एवं 6 और The U.P. Minor Minerals (Concession) Rules, 1963 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विचार करते हुये उसे मे० जे०पी० एशोसिएट्स लि० से मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० के पक्ष में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

- (1). अवशेष अनुमानित खनिज भण्डार के खनिज मूल्य के 0.5 प्रतिशत के समतुल्य एक मुश्त धनराशि रू0 61.544 करोड अंतरिती (Transferee) द्वारा अग्रिम संदाय (Upfront payment) के रूप में राज्य सरकार के पक्ष में 30 दिन के अन्दर जमा किया जायेगा।
- (2). अग्रिम संदाय (Upfront payment) को नियमावली, 2016 के नियम-6 के उपनियम-(1) के अन्तर्गत संदेय धनराशि के सापेक्ष पूरा का पूरा समायोजित किया जायेगा।
- (3). अंतरिती द्वारा उक्त नियमावली, 2016 के उपनियम-4 के अनुसार अग्रिम संदाय करने के 15 दिन के अन्दर खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक 02.07.2015 के भाग-1, खण्ड-1, में प्रकाशित प्रपत्र में खान विकास एवं उत्पादन करार (Mine Development and Production Agreement) पर राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षर किया जायेगा।

Su

U.P. Cement Limited

Aug 2015

- (4). खान विकास एवं उत्पादन करार (Mine Development and Production Agreement) पर हस्ताक्षर करने के 15 दिन के अन्दर अवशेष खनिज भण्डार के खनिज मूल्य के 0.5 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि बैंक गारन्टी के रूप में अथवा प्रतिभूत जमा के तौर पर अंतरिती द्वारा राज्य सरकार को निष्पादन प्रतिभूत प्रदान किया जायेगा।
- (5). निष्पादन प्रतिभूति को प्रत्येक पाँच वर्षों में समायोजित किया जायेगा, ताकि यह अनुमानित संसाधनों के पुनर्मूल्यांकन मूल्य के 0.50 प्रतिशत के तत्समान बनी रह सके।
- (6). अंतरिती को नियमावली, 2016 की अनुसूची-4 के अनुसार चारो खनन पट्टों के सापेक्ष देय रायल्टी पर 80प्रतिशत अतिरिक्त रायल्टी का भुगतान करना होगा। रायल्टी संशोधित होने पर यह दर भी तदनुसार संशोधित होगी।
- (7). हस्तान्तरण की तिथि तक खनन पट्टों के सम्बन्ध में देय रायल्टी/डेड रेन्ट का भुगतान मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 को करना होगा। हस्तान्तरण के उपरान्त यह धनराशि मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा भुगतान की जायेगी।
- (8). राज्य सरकार द्वारा अंतरक (Transferor) को रायल्टी मद में 18,70,536.00 टन लाईम स्टोन हेतु प्रतिवर्ष रायल्टी से छूट प्रदान की गयी थी, जो दिनांक 01.02.2008 से 31.01.2018 तक प्रभावी है, किन्तु पट्टा हस्तान्तरण के उपरान्त अवशेष अवधि के लिये यह छूट अंतरिती (Transferee) को अनुमन्य नहीं होगी।
- (9). खान व खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम-1957 यथा संशोधित अधिनियम-2015 के प्राविधान के अनुसार मुख्य खनिजों के लिये बनाये गये एन0एम0ई0टी0 के अंशदान का भुगतान हस्तान्तरण की तिथि तक अंतरक (Transferor) द्वारा किया जायेगा। पट्टा हस्तान्तरण के उपरान्त इसका भुगतान अंतरिती (Transferee) द्वारा किया जायेगा। इस धनराशि की गणना, जिलाधिकारी द्वारा, निकासी किये गये खनिज की मात्रा व जमा रायल्टी के आधार की जायेगी।
- (10). खान व खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम-1957 यथा संशोधित अधिनियम-2015 के प्राविधान के अनुसार मुख्य खनिजों/उपखनिजों के लिये उ0प्र0 जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के अनुसार न्यास निधि में अंशदान, अंतरण की तिथि तक, मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा किया जायेगा। खनन पट्टा हस्तान्तरण के उपरान्त इसका भुगतान मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा किया जायेगा। इस धनराशि की गणना, जिलाधिकारी द्वारा, निकासी किये गये खनिज की मात्रा व जमा रायल्टी के आधार की जायेगी।
- (11). अंतरक और अंतरिती (Transferor and Transferee) खनन पट्टा के अन्तरण के लिये नियमावली, 2016 के नियम-5 के उपनियम-(4), (6) तथा (7) में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूर्ण होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में सम्यक्तरजिस्टरीकृत विलेख संयुक्त रूप से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।
- (12). खनन पट्टों का हस्तान्तरण "The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015", "The Mineral (Transfer of Mining Lease Granted Otherwise than through Auction for Captive Use) Rules, 2016" तथा "The U.P. Minor Minerals (Concession) Rules, 1963" के अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत होगा।

Handwritten signature

UltraTech Cement Limited
UltraTech Cement Works

- (13). उक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अतिरिक्त खनन पट्टों की शेष शर्तें यथावत् प्रभावी रहेगी।
5. कृपया उक्त खनन पट्टों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या— 86/2017, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, महाराष्ट्र।
- 2 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को उनके पत्र संख्या-356/एम-12 सी 373/09(जे0पी0ए0), दिनांक 12.06.22017 के सन्दर्भ में।
- 3 जिलाधिकारी, सोनभद्र को उनके पत्रांक-319/खनिज/जे0पी0/2017-18, दिनांक 30.05.2017 के सन्दर्भ में इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत खनन पट्टों के अन्तरण के सम्बन्ध में संगत प्रभावी नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 4 मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, बी-विंग, सेकेण्ड फ्लोर, अहुरा सेन्ट, अंधेरी ईस्ट, महाकाली केव्स रोड, मुम्बई, 400093 को इस निदेश के साथ प्रेषित कि हस्तान्तरण की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5 गार्ड फाइल।

भवदीय,
(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

